

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ४

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १५] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर २९, १९६८/कार्तिक ७, १८९०

No. 15] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 1968/KARTIKA 7, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August 1968

S.R.O. 16E.—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations 1964, namely:—

1. These regulations may be called the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous (Fifth Amendment) Regulations 1968.

2. In the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations 1964, in Regulation 247, in the proviso to sub-regulation (3),—

(1) for clauses (a), (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(a) Chief Engine-Room Artificers, Chief Ordnance Artificers, Chief Electrical Artificers, Chief Shipwright Artificers, Chief Aircraft Artificers, Chief Mechanics, Chief Aircraft Mechanics and Chief Electrical Mechanics shall rank and command over all other ratings of these eight branches. “Chief” ratings within one of these branches shall rank and command between themselves according to seniority in “Chief” rating. “Chief” ratings of two or more of these branches shall rank and command between themselves by seniority as Chief Petty Officer. Where “Chief” ratings of any of these eight branches are together with Chief Petty Officers of other branches they will rank and command according to seniority as Chief Petty Officer.

- (b) Engine-Room Artificers, Ordnance Artificers, Electrical Artificers, Shipwright Artificers and Aircraft Artificers of a particular class shall rank and command over all Engine-Room Artificers, Ordnance Artificers, Electrical Artificers, Shipwright Artificers and Aircraft Artificers of a lower class. Within one of these branches, sailors of the same class shall rank and command according to their seniority in that class.”;

(11) clause (d) shall be relettered as clause (c)

[Case No. RP/1451/61-68/NHQ/D(N-II).]

S. P. SRINIVASAN, Jt. Secy.

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1968

एस० आर० "ओ०" 16 ई. — नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के कार्यान्वयन में केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा नौसेना समारोह, सेवा के उपबन्ध तथा विनियमों, 1964 को और आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1 इन विनियमों को नौसेना समारोह, सेवा के उपबन्ध तथा त्रिविध (पांचवां संशोधन) विनियम 1968 के नाम से जाना जाय ।

2. नौसेना समारोह, सेवा के उपबन्ध तथा त्रिविध विनियम 1964 में विनियम 247 में उप-विनियम (3) के उपबन्ध में—

(i) (क), (ख) और (ग) धाराओं के स्थान पर निम्नलिखित धाराएँ प्रतिस्थापित की जायँ, अर्थात् :—

(क) चीफ इंजन रूम आर्टिफिसरों, चीफ आर्डनेन्स आर्टिफिसरों, चीफ इलेक्ट्रिकल आर्टिफिसरों, चीफ शिपराइट आर्टिफिसरों, चीफ एयरक्राफ्ट आर्टिफिसरों, चीफ मैकेनीशियनों, चीफ एयरक्राफ्ट मैकेनीशियनों तथा चीफ इलेक्ट्रीकल मैकेनीशियनों का रैंक तथा कमांड इन आठ ब्रान्चों के अन्य सभी नौसैनिकों से ऊपर रहेगा । इनमें से किसी भी एक ब्रान्च के भीतर चीफ नौसैनिकों का रैंक तथा कमांड आपस में "चीफ" नौसैनिक के रूप में वरीयता के अनुसार होगा जो या दो से अधिक ब्रान्चों के "चीफ" नौसैनिकों का रैंक तथा कमांड आपस में चीफ पैटी अफसर के रूप में वरीयता के अनुसार होगा । जहाँ इन आठ ब्रान्चों में से किसी ब्रान्च के भी "चीफ" नौसैनिक किसी अन्य ब्रान्च के चीफ पैटी अफसरों के साथ हों वहाँ उनका रैंक तथा कमांड चीफ पैटी अफसर के रूप में वरीयता के अनुसार होगा ।

(ख) किसी विशेष श्रेणी के इंजन-रूम आर्टिफिसरों, आर्डनेन्स आर्टिफिसरों, इलेक्ट्रिकल आर्टिफिसरों, शिपराइट आर्टिफिसरों तथा एयरक्राफ्ट आर्टिफिसरों का रैंक तथा कमांड निम्न श्रेणी के समस्त इंजन-रूम आर्टिफिसरों, आर्डनेन्स

आर्टिफिसरों, इलेक्ट्रिकल आर्टिफिसरों, सिपराइट आर्टिफिसरों तथा एयर क्राफ्ट आर्टिफिसरों से ऊपर रहेगा । इनमें से किसी भी एक ब्रान्च के भीतर एक श्रेणी के नौसैनिकों का रैंक तथा कमांड उस श्रेणी में उसकी बरीयता के अनुसार होगा ।

(ii) धारा (घ) के स्थान पर (ग) लिखा जाय ।

[केस सं० आर० पी०/1451/61-68/एन० एच० क्यू०/ बी० (एन०-II).]

एस० पी० श्रीनिवासन,

संयुक्त सचिव ।

